संख्या-13/2019/236/सैंतीस-2-2019-1(35)/2014टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-18 फरवरी, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर.आई.डी.एफ.) (राज्य योजना) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-486/सा0-1/एक्स-120(189)/आरआईडीएफ-21/पा.क्ली./2015-16, दिनांक-23.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर.आई.डी.एफ.-22 में अनुमोदित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक, वाराणसी के निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू0-84.08 लाख तथा पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक, अलीगढ़ की आंकलित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष रू0-109.37 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहार" की स्थापना के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में सम्भावित बचतों से लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-14-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर.आई.डी.एफ.) (राज्य योजना) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में रू0-192.45 लाख (रूपये एक करोड़ बान्नवे लाख पैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित करते हुए लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-14-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर.आई.डी.एफ.) (राज्य योजना) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित रू0-1.00 लाख को सम्मिलित कर कुल रू0-193.45 लाख (रूपये एक करोड़ तिरान्नवे लाख पैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) बचतों के सही होने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(2) जिस योजना/मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है उस योजना/मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) प्रश्नगत प्रयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा इससे विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-14-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर.आई.डी.एफ.) (राज्य योजना)-24-वहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-112/दस-2019, दिनांक-11.02.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-13/2019/236(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।